न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 134/2016
आरसीएमएस नं0 2016/00285
223 आरओएक्ट

1. मंगलाराम पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा।
2. भाल सिह उर्फ माल सिह पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति शांति देवी पुत्री बलूराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. अमरसिह
3. काशीराम
4. धर्मपाल
5. महेन्द्र सिह
6. हरलाल

पि0 बजूराम जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

7. तहसीदलार राजस्व नोहर स्टेट ऑफ राजस्थान भादरा तहसील भादरा।
8. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक अनूपशहर ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा प्रकरण संख्या 421/2013 बअदालती शांति बनाम मंगलाराम आदि

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:10 IST
Reason: SelfAttested

श्री विजय सिंह कड़ावासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4

निर्णय दिनांकः— 9.6.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया शांति देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि वादीया के पिता बलूराम के नाम रोही मौजा भाडी में 81 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदारी आराजी थी, श्री बलूराम का देहान्त हो गया है। पिता की मृत्यु के बाद वादीया व उसकी माता किस्तूरी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वादिया के पिता के प्रथम श्रेणी के वारिसान थी लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने राजस्व धिकारियों व कर्मचारियों सरपंच आदि से मिलीभगत करते हुए बलूराम के वारिसों को नहीं दिखाकर अपने व प्रतिवादी संख्या 7 व वादिया की माता के नाम वादियाके पिता के नाम से दर्ज आराजी काराजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवा लिया। वादिया की माता का भी देहान्त हो चुका है। उसके प्रामि श्रेणी के वारिसान वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है इसलिए वादिया की माता किस्तूरी का नाम कलमजन करवा कर वादिया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ उनके नाम आराजी में संयुक्त रूप से बहिब की खतोदारी अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादीया ने वादपत्र में किस्तूरी का नाम कलमजन कर अर्जीदावा की मद सं0 5 में दर्ज आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ वादिया को बहिब की खातेदार काश्तकार घोषित करने, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने व प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायायल में प्रतिवादी संख्या 2 व 7 ने इकबालदावा पेश किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 6 ने जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा पेश होने पर तनकीयात कायम की गई एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादीया स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:10 IST
Reason: SelfAttested

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं मनमाना एवं स्वेच्छाचारी, नियम विरूद्ध है। वादीया रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने जुम्मे तनकी को किसी प्रकार साबित नहीं यिाथा फिर ाीि उसे सबित मानकर दावा डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने जुम्मे तनकी को भली भांति अपने दस्तावेजी साक्ष्य से सबित की थी फिर दरख्वास्त का कोई विश्लेषण नहीं कियागया। वादीया का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। और कब्जा के अभाव में इश्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री संधारण यौगय नहीं ळै ना ही वादीया अपने दावा में इश्तकरार हक की इस्तदुआ की है। वादीया अपीलाण्ट ने 30 वर्ष बाद दावा पेश किया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम संशोधित जो 09.06.2005 को लागु हुआ है तथा उसका प्रभाव पश्चात्वर्ती है तथा वादग्रस्त भूमि 20.12.2004 से पहलें प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट में से **Vest** हो चुकी तथा अब **Divest** नहीं हो सकती है वादया को दावा होने की **Locus standi** हासिल नही है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के नाम दर्ज होने का रेस्पोडेण्ट को पहले से ही ज्ञान था। अतः अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादीया के पिता बलूराम के नाम रोही मौजा भाडी में 81 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदारी आराजी थी, श्री बलूराम का देहान्त हो गया है। पिता की मृत्यु के बाद वादीया व उसकी माता किस्तूरी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वादिया के पिता के प्रथम श्रेणी के वारिसान थी लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों सरपंच आदि से मिलीभगत करते हुए बलूराम के वारिसों को नहीं दिखाकर अपने व प्रतिवादी संख्या 7 व वादिया की माता के नाम वादिया के पिता के नाम से दर्ज आराजी का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवा लिया। वादिया की माता का भी देहान्त हो चुका है। उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है इसलिए वादिया की माता किस्तूरी का नाम कलमजन करवा कर वादिया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ उनके नाम आराजी में संयुक्त रूप से बहिब क... अपने नाम दर्ज करवाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

अधिकारी है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रकरण में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने रोही मौजा भाडी की कुल 20.5940 है0 में किस्तूरी का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के साथ बहिस्सा बराबर की खातेदारी घोषित करने हेतु वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मंगलाराम ने अपने साक्ष्य जिरह में इस बात को स्वीकार किया है वाद भूमि दादालाई सम्पति है और हम सात भाई व एक बहिन शांन्ति है। न्यायालय का मत है कि हिन्दू उतराधिकार में पिता की सम्पति में सभी का बराबर का हिस्सा होता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया का वाद स्वीकार करते हुए किस्तूरी का नाम कलमजन करते हुए वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को वाद भूमि का संयुक्त रूप से 1/8–1/8 हिस्सा भूमि का बहिब का खातेदार घोषित किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:10 IST
Reason: SelfAttested